

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>14/9/21</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थ के आलीगढ़ सुनवाई हेतु आपने स्वयं के अग्रिम उपर्युक्त को नोटिस जारी 29/9/21 को ही जारी किया गया। कठ समय होने के कारण इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 5/10/21 को पेश हो।</p>	
<p>5/10/21</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। साबिकी आदेश की घालना में नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 29/10/21 को पेश हो।</p>	<p>जिना कलेक्टर, पाली</p>
<p>29-10-21</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थ द्वारा यह अपील आन्तरिक धारा 19(1) RTI अधिनियम के तहत धीरे-धीरे लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रोहट के पेश का नोटिस सूचना उपलब्ध कराने हेतु तिवर किया है। इस न्यायालय द्वारा लिखा जाने पर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रोहट ने जारी पत्रावली दिनांक 2021/112 दिनांक 12-1-21 के सूचना अपीलार्थ को निजवासा जाना लिखा है। प्राप्त सूचना बावजूद इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थ को अपना पक्ष रखने हेतु जरूर रपिस्टेड नोटिस तालिका किया गया वह उपर्युक्त होने पर उपर्युक्त अधिकारी रोहट से प्राप्त घालना प्रकृत की प्रति उपर्युक्त की मौरा वरदान के किसी प्रकार की प्रतिक्रिया अपीलार्थ की तरफ से प्राप्त नहीं हुई है। इसी स्थिति में इस अपील के संदर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही आवश्यक नहीं रह जाते है यह अपील दायरता पर ध्यान की जाती है। पत्रावली शुभान केसल की आकर इस न्यायालय से वापस ले कर है।</p>	<p>जिना कलेक्टर, पाली</p>

